न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/122/18	23–10–2018	02–07–2019

01. फूल सिंह मीना पुत्र बृजलाल मीणा निवासी मोती का नंगला उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग ग्राम पंचायत डोरोली तहसील कठूमर जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 05–09–2018 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या 910/1997

उपस्थितः–

01. श्री श्योराम सिंह नरूका –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैसेकार –रेस्पौडेण्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 05–09–2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 910/2018 निरस्त करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बिना अपीलान्ट को सुने निरस्त किया है। जिला रसद अधिकारी के द्वारा मनमाने तरीके से बिना अपीलान्ट को सुने बिना समुचित जांच किये बिना आरोप लगाए एकतरफा करते हुऐं अपीलीय निर्णय पारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 12/85/18 बअनुवान फूलसिंह बनाम रसद अधिकारी अलवर दिनांक 13.6.17 पेश होने पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.9.17 को अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी अलवर का आदेश दिनांक 10.3.17 निरस्त किया जाकर प्रकरण जिला रसद अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर पुनः विधिसम्मत आदेश यथासम्भव एक में पारित करें। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना तहत अदालत द्वारा नही की गई जिस कारण से अपीलान्ट बार–बार जिला रसद अधिकारी कार्यालय अलवर में चक्कर लगाता रहा। और ना ही अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की उचित मूल्य सामग्री की सप्लाई जारी नहीं की गई और ना ही प्रकरण का निस्तारण किया गया। तत्कालीन रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट से द्वेषभावना रखते थे। जिला रसद अधिकरी अलवर से जारी नोटिस क्रमांक रसद/2017/37692 दिनांक 1611.17 को अपीलान्ट को प्राप्त हुआ था जिस नोटिस में कोई आरोप अपीलान्ट के विरूद्व दर्ज नहीं थे। अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी अलवर को दिनांक 30.11.17 को पेश कर दिया गया था जिसके बावजूद जिला रसद अधिकारी द्वारा पूर्ण मंशा के आलोच्च निर्णय पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा जो नोटिस जारी किया उसमें अपीलान्ट से किसी प्रकार का कोई रिकार्ड या पोश मशीन नहीं मंगवाई गई थी। जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 21.5.18 को अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र बहाली का आदेश जारी किया गया था, आदेश दिनांक 21.5.18 के अनुसार उचित मूल्य दुकानदार राजेन्द्र अवस्थी खेरलीरेल अटैचमेन्ट दुकान ग्राम पंचायत डोरोली का कार्य कर रहा था जिसको आदेश दिये गये थे अवितरित राशन सामग्री आज ही सकीमतन स्टॉक मय पॉश मशीन सहित अपीलान्ट को संभलवाना सुनिश्चित करें, अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 10.3.17 को निरस्त किया गया था उसी समय अपीलान्ट की पॉश मशीन को अटैचमेन्ट डीलर को संभलवा दिया गया था जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट के स्टॉक एवं पॉश मशीन में किसी प्रकार की अनियमितता नही रही है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का फैसला विधि विरूद्व तरीके से मनमर्जी एकतरफा में

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

पारित किया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है और न ही किसी प्रकार का गबन किया गया है। अपीलांट द्वारा कोई अनियमितता की गई है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। ओलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 25.9.18 को हुई जिस पर नकल प्राप्त कर कानूनी सलाह लेकर अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें, एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आदेश 1976 की धारा 8 के तहत बिना सुनवाई के प्राधिकृत अधिकार पत्र निलम्बित किया जा सकता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस पत्रावली संलग्न सम्पुष्ट नहीं है और ना ही जवाब कि पुष्टि हेतु वांछित 6 माह का रिकार्ड मय पॉश मशीन प्रस्तुत किया गया है बार–बार अपीलान्ट को जरिये नोटिस तलब किये जाने बावजूद भी उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत नही करना ही जांच रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी पर वर्णित अरोप को साबित करता है। दौराने जांच स्थिति सही नही मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है और ना ही अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित हुआ। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया है तथा अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गंभीर प्रवृति के नहीं है। प्राधिकार पत्र को 90 दिवस के बाद भी बहाल नहीं किया, जबकि निलम्बन आदेश 90 दिन तक ही प्रभावी रहता है। जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही बताई गई थी। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये तर्क के सम्बन्ध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में नियमानुसार जिला रसद अधिकारी को 90 दिन में प्रकरण बाद सुनवाई निस्तारण किया जाना आवश्यक है जो आलौच्च प्रकरण में नहीं किया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा जांच से पूर्व ही अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित करना प्रक्रियात्मक त्रुटि है एवं अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित निर्णय को उचित नही ठहराया जा सकता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर जिला रसद अधिकारी, अलवर को पत्रावली इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वे अपीलान्ट का विधिवत सुनवाई का अवसर/साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का यथासम्भंव एक माह में गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करें। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02–07–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर (राज०)